

प्रेषक,

गोपाल मीणा,
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
कटिहार ।

पटना, दिनांक :- 27/10/16

विषय:- मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम-राज्य योजना-112-बंधुआ मजदूर का पुनर्वास-
मांग संख्या- 26-उपशीर्ष-0101-अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम (विपत्र कोड-
पी 2230011120101) राज्य योजना स्कीम कोड-LAB-5233 के अन्तर्गत निधि का आवंटन
महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2257 दिनांक-24.5.16 के
आलोक में बंधुआ मजदूर पुनर्वास कार्यक्रम के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष-2016-17 में 31 मार्च, 2017
तक व्यय के निमित्त निम्न प्रकार से निधि का आवंटन किया जाता है।

| जिला का नाम | कुल बंधुआ मजदूरों की संख्या | व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ(28-01) से राज्यांश की राशि प्रति बंधुआ मजदूर ₹ 10,000/- (₹ दस हजार) मात्र की दर से श्रम अधीक्षक, कटिहार के पत्रांक- 735, 736 एवं 737 तीनों दिनांक-15.10. 16 के आलोक में शेष बचे सामान्य श्रेणी के 08 बंधुआ मजदूरों के लिए | सामग्री एवं पूर्तियाँ(21 01) इकाई से रू० 1500/- 30 दिन के राशन एवं रू० 500/- भोजन नास्ता, वस्त्र एवं दवा हेतु प्रति बंधुआ मजदूर की दर से श्रम अधीक्षक, कटिहार के पत्रांक-735, 736 एवं 737 तीनों दिनांक-15. 10.16 के आलोक में शेष बचे सामान्य श्रेणी के 08 बंधुआ मजदूरों के लिए | कुल आवंटित राशि कॉलम (3+4) |
|----------------|--------------------------------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| कटिहार | 8 | 80000 | 16000 | 96000 |

कुल आवंटित राशि ₹ 96000/- (₹ छियानवे हजार) मात्र ।

3. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-423/वि० दिनांक-31.3.16, पत्रांक- 4572/वि० दिनांक-03.06.
2016 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापक-2561/वि०(2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है।

4. इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि
से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।

5. आवंटित राशि से हुए व्यय की सूचना विहित प्रपत्र में आवश्यक टी०भी० नं० तथा तिथि के साथ
निकासी के उपरांत अबिलम्ब निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें ।

6. यह आवंटन योजना से संबंधित है ।

विश्वासभाजन,

26/10/16

(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापक-6/एफ1-308/16 श्र0सं0-95

पटना, दिनांक 27/10/16

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

26/10/16

(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।

*स्पीड
पोस्ट

ज्ञापांक-6/एफ1-308/16 श्र0सं0 95

पटना, दिनांक 27/10/16

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना /संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ *संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उप श्रमायुक्त/संबंधित श्रम अधीक्षक/ आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सहायक श्रमायुक्त(शोध) एवं प्रशाखा-01(श्रम पक्ष) को उनके गै०स०प्रे०सं०-317(श्रमपक्ष) दिनांक-19.10.16 के आलोक में/ प्रशाखा-2 सरकार पक्ष /प्रशाखा-6, बजट शाखा, श्रम पक्ष को दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ एवं व्यय विवरणी शाखा प्रशाखा-6, श्रम पक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. उपयोगिता प्रमाण-पत्र का संधारण संबंधित शाखा (प्रशाखा-1) द्वारा किया जायेगा।

②
26/10/16

(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।